

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.1(12)नविवि/3/1972 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक:- 27 JUN 2023

अधिसूचना

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2009 की धारा 25(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम उत्तर जोधपुर/नगर निगम दक्षिण जोधपुर के क्षेत्राधिकार में योजनाबद्ध विकास का अधिक दक्षतापूर्ण रीति से संप्रवर्तन करने के लिए मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान में माननीय न्यायालयों द्वारा समय-समय पर प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए आवश्यक होने पर व्यापक जनहित में वांछित संशोधन करने हेतु नगर निगम उत्तर/दक्षिण जोधपुर को अधिकृत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संचिता विश्णोई)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, जोधपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 27.06.2023 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन मिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय